

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2017

विषय : दिनांक 01-01-2016 के पूर्व लागू वेतन संरचना में स्वीकृत अनन्तिम पेंशन का पुनरीक्षण।

महोदय,

उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियां राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के अनन्तर, दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016 दिनांक 23.12.2016 निर्गत किया जा चुका है।

2- अधोलिखित श्रेणी के पेंशनर वर्तमान में अपुनरीक्षित वेतन संरचना में प्राप्त वेतन के आधार पर स्वीकृत अनन्तिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं -

- (1) ऐसे पेंशनर जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हुये तथा विभागीय/न्यायिक कार्यवाही के कारण निलम्बन के फलस्वरूप जिन्हें अनन्तिम पेंशन स्वीकृत की गयी।
- (2) ऐसे कार्मिक जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व निलम्बित हुये तथा दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्ति पर जिन्हें अनन्तिम पेंशन स्वीकृत की गयी।

3- मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे सभी प्रकरणों में अनन्तिम पेंशन का पुनरीक्षण वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016 दिनांक 23.12.2016 में दिये गये निर्देशों के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,  
अजय अग्रवाल  
सचिव ।

संख्या-03/2017-सा-3-99(1)/दस-2017-308/2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 6- निदेशक, पेंशन, पेंशन निदेशालय, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8- निदेशक, कोषागार, जवाहरभवन, लखनऊ।
- 9- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 10- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेशन, उत्तर प्रदेश।
- 11- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 12- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,  
नील रतन कुमार  
विशेष सचिव ।